


XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक.388-एक/15

जिला-टीकमगढ

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
17-4-15	<p>आवेदक अभि. द्वारा शीघ्र सुनवाई के आवेदन पर प्रकरण आज लिया गया । आवेदक शासन की ओर से श्री डी.के.शुक्ला शास. अभि. उप. । आवेदक अभि. इस प्रकरण को अब आगे चलाना नहीं चाहते । अतः आवेदक अभि. के निवेदन पर यह प्रकरण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है । दाखिल रिकार्ड हो ।</p> <p style="text-align: right;"> म.क.सिंहः सदस्य</p>	

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल, मोतीमहल, ग्वालियर म0प्र0

निगरानी प्रकरण कमांक: 388 I / 2015

म0प्र0 शासन द्वारा कलेक्टर, टीकमगढ़

-----आवेदक

बनाम

फुलझरी देवी पति स्व. दुर्गासिंह ठाकुर
निवासी बबेड़ी जंगल तहसील -ओरछा
जिला-टीकमगढ़ म0प्र0

-----अनावेदक

श्री. श्री. क. सुब्रह्मण्यम्
द्वारा आज दि. 19-2-15 को
प्रस्तुत

19-2-15
कलेक्टर ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वा.

आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू-राजस्व संहिता
वास्ते निगरानी किये जाने बावत्

आवेदक द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त सागर का प्रकरण अपील कमांक 759/अपी/अ-6/2010-11 पक्षकार फुलझरी विरुद्ध म0प्र0 शासन में आदेश दिनांक 28.07.2014 में म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा-50 के तहत निगरानी निम्न आधारों पर किये जाने हेतु निवेदन है।